105 काम.

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रांक :– 5883 /46एम–मु0क्षे0/13 दिनांक :– 4-9-2015

सेवा में,

जिलाधिकारी
मुरादाबाद।

विषय :– **ग्राम–तहारपुर, थाना–मैनाठेर, तहसील व परगना–बिलारी, जनपद–मुरादाबाद स्थित गाटा सं0–25 रकबा–0.0160 है0 एवं गाटा सं0–26 रकबा–0.3280 है0 पर मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, मेरठ के रिटेल आउटलेट(पैट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **आपके कार्यालय का पत्रांक–654/आबकारी सहायक/2015 दिनांक 20.05.2015**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद के पत्रांक–3678/105काम–मु0वृत/15 दिनांक 04.09.2015 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक–479/1प्रा0वर्ग/15–16 दिनांक 26.08.2015 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तों के तारतम्य में जनपद मुरादाबाद में ग्राम–तहारपुर, थाना–मैनाठेर, तहसील व परगना–बिलारी, जनपद–मुरादाबाद स्थित गाटा सं0–25 रकबा–0.0160 है0 एवं गाटा सं0–26 रकबा–0.3280 है0 पर मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, मेरठ के रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु निम्न शर्तों के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

1– प्रस्तावित निर्माण कार्य संलग्न अनुमोदित प्लान के अनुसार ही कराना होगा।
2– निर्माण कार्य अनुमति प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कराना आवश्यक होगा।
3– भू–स्वामित्व के आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4– प्रस्तावित निर्माण यदि विनियमित क्षेत्र, नगर पालिका/टाउन एरिया की सीमा में आता है तो निर्माण से पूर्व उनसे भी अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
5-- प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने पुलिया एवं पहुँच मार्ग आवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्माण कराना आवश्यक होगा एवं विधिवत् अनुबन्ध कराना भी आवश्यक होगा।
6– भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव मार्ग के चौड़ीकरण का आता है तो नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए आवेदक सहमत होंगे।
7– प्रस्तावित निर्माण से सड़क यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
8– उपरोक्त प्लान के अनुसार निर्माण न करने अथवा उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लघंन किये जाने पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

संलग्न :– 1–साईट प्लान–1
2–अधी0अभि0, मु0वृत का पत्र सं0–3678/105काम–मु0वृत/15 दिनांक 04.09.2015 एवं अधि0अभि0, नि0खण्ड–1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्र सं0–479/1प्रा0वर्ग/15–16 दिनांक 26.08.2015 (छाया प्रति संलग्न)

(ए0के0 भाटिया)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :– 1–अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 04.09.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता,
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

राजकुमार जिन्दल
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
विधिवत गठित न्यायवादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय

D:P.W.D\PPP\Petrol Pump.doc

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रांकः–3678 /105 काम–मु0वृत/15 दिनांक 04/09/15

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

विषयः– ग्राम–ताहरपुर थाना मैनाठेर, तहसील व परगना बिलारी, जनपद–मुरादाबाद स्थित गाटा सं0–25 रक्वा–0.0160 है0 एवं गाटा सं0–26 रक्वा–0.3280 है0 पर मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, वेदव्यासपुरी, परतापुर मेरठ, जनपद–मेरठ से आउटलेट(पैट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक 479/1प्रा0वर्ग/15–16 दिनांक 26–08–2015।

उपरोक्त विषयक प्रस्तावित स्थल ग्राम–ताहरपुर थाना मैनाठेर, तहसील व परगना बिलारी, जनपद–मुरादाबाद स्थित गाटा सं0–25 रक्वा–0.0160 है0 एवं गाटा सं0–26 रक्वा–0.3280 है0 पर मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, वेदव्यासपुरी, परतापुर मेरठ, जनपद–मेरठ से आउटलेट(पैट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अनापत्ति हेतु संस्तुति सहित मानचित्र संलग्न करते हुए पूर्ण प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर पूर्ण प्रकरण दो मानचित्रों के साथ संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः– 1–मानचित्र दो प्रतियों में।
2–एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3–अधिशासी अभियन्ता के संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

अधीक्षण अभियन्ता
मुरादाबाद वृत,लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

<u>प्रतिलिपि</u> अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

राजकुमार जिन्दल
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
विधिवत गठित न्यायवादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय

अधीक्षण अभियन्ता
मुरादाबाद वृत,लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

D:\OMPRAKASH\COM\105 COM.doc

5883
4/9/15

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रावली सख्या 105 ... 07
क्रम संख्या
पूर्व सन्दर्भ
अग्रिम सन्दर्भ

पत्रॉक:– 479 /प्रा0वर्ग / 15–16 दिनॉक : 26 /8 /2015

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
मुरादाबाद वृत,लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

विषय :– ग्राम ताहरपुर थाना–मैनाठेर तहसील व परगना बिलारी, जनपद मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या–25 रक्बा–0.0160 है0 एवं गाटा संख्या–26 रक्बा–0.3280 है0 पर मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, वेदव्यासपुरी, परतापुर मेरठ, जनपद मेरठ के आउटलेट (पैट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– कार्यालय जिलाधिकारी, मुरादाबाद का पत्र संख्या 654 / आबकारी सहायक / 2015 दिनांक 20.05.2015 एवं मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0., मुरादाबाद का पृष्ठांकन संख्या 3738 / मूल में / 2015 दिनांक 26.05.2015

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आवेदक द्वारा इंगित स्थल की जॉच कर विभागीय अनापत्ति आख्यायें निम्न प्रकार हैं।

1– उपरोक्त कार्यस्थल मुरादाबाद–सम्भल मार्ग (एम0डी0आर0–69) पर चैनेज 11.750 के दायीं ओर सडक के मध्य से 19.82 मी0 की दूरी पर स्थित है।
2– कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है।
3– कार्यस्थल पर कोई धार्मिक स्थल नहीं है, जिससे कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो।

अतः उपरोक्त कार्यस्थल पर निर्माण मुरादाबाद–सम्भल मार्ग (एम0डी0आर0–69) पर चैनेज 11.750 के दायीं ओर सडक के मध्य से 19.82 मी0 की दूरी पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की संस्तुति की जाती है।

1. प्रस्तावित निर्माण अनुमोदित प्लान के अनुसार ही कराना होगा।
2. निर्माण के सामने आवेदक को आवश्यकतानुसार पानी की निकासी हेतु पुलियां एवं पहुँच मार्ग का निर्माण स्वयं के खर्चे पर विभाग से अनुबन्ध कर अपने स्वमित्व की भूमि में कराना होगा।
3. प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने कोई सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा धर्म स्थल नही है।
4. अनुमति के उपरान्त निर्माण कार्य एक वर्ष के अन्दर प्रारम्भ कराना होगा।
5. निर्माण सामग्री लो0नि0वि0 की भूमि पर एकत्र नही होनी चाहिए।
6. प्रस्तावित निर्माण का पिलिन्थ लेवल मार्ग की सतह से नीचे रखना होगा।
7. निर्माण के समय लो0नि0वि0 के अधिकारियों / कर्मचारियों को निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव मार्ग के चौड़ीकरण का आता है, तो नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सकेगी। जिसके लिये आवेदक सहमत होगे तथा दी गयी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

अनुमोदित प्लान के अनुसार निर्माण न करने अथवा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में प्रदत्त अनुमति स्वयम् निरस्त हो जायेगी।

संलग्न :– मानचित्र दो प्रतियों में एवं चैक लिस्ट

3678
26/08/15

105 ...
24/8/15

JE(I)

3/9/15

26/08/15

(एस0के0 अग्रवाल)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

राजकुमार जिन्दल
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
विधिवत गठित न्यायवादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय

E:\metting\Gemal latter.doc

822